From-I
(for linear projects
Office of the District Collector
Kangra at Dharmshala

No. 5461 /DRA Dated: 09/10 , 2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF),Govt.of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August,2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)Act,2006 (FRA,for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dt 5th Feburary 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **03-21-80 Hectares** situated in Mohal Dhar, Chatra, Dhangad and Tilla, Tehsil Dehra Distt. Kangra, of forest land proposed to be diverted in favour of Himachal Pradesh Public works Department Division Dehra for construction of link Road from Dhar to Dhangad via Lunsu KM 0/0 to 6/500 in the state of H.P in Tehsil Dehra falls within jurisdiction of Dehra Forest Division.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **03-21-80** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Divisional Level Committee(s) and the District Committee are enclosed as annexure I to __. As per report received from Gram Panchyat , Dhar, Dhangad & SDO (C) Dehra there are no claims pending under them from anyone as per Scheduled Tribes and forest dwellers act 2006.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized right of primitive Tribal group and pre agriculture communities.

09/10/18
District Collector
Kangra at Dharamshala

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

दिनांक 25.9.2018 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के अन्तर्गत प्राप्त मामलों में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही

जिला स्तरीय समिति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 की बैठक दिनांक 25–9–2018 को श्री संदीप कुमार, भा0 प्र0 से0 उपायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गठित समिति के सरकारी व गैर सरकारी निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1	श्री मस्त राम भारद्वाज, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला	सदस्य
2.	श्री संजीव कुमार, जिला राजस्व अधिकारी	सदस्य
3.	श्री प्रदीप भारद्वाज वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला	सदस्य
4	मदन लाल शर्मा, ए0सी0एफ0 देहरा	सदस्य
5	श्रीमति बासू कौशल ए0सी0एफ0, नूरपुर	सदस्य
6	श्री रविन्द्र कुमार आर0ओ0 बैजनाथ	सदस्य
7	श्रीमति गायत्री कपूर (जिला परिषद)	सदस्य

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। तथा उसके पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की । वैठक में निम्नलिखित प्रोजैक्ट व लोक निर्माण विभाग से विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतू उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी किये जाने बारे उपमण्डल स्तरीय कमेटी जयसिंहपुर, ज्वालामुखी, देहरा, नूरपुर, नगरोटा बगवां व बैजनाथ से मामले प्राप्त हुए हैं ।

1. उपमण्डल अधिकारी (ना0) जयसिंहपुर ने ग्राम सभा कूहण, लाहडू, बालकरूपी, आलमपुर, जांगल द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात धौलासिध हाइड्रो प्रोजैक्ट 66 M.W. तहसील जयसिंहपुर के निर्माण हेतू मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।
2. उपमण्डल अधिकारी (ना0) ज्वालामुखी ने ग्राम सभा टिप्परी द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात धौलासिध हाइड्रो प्रोजैक्ट 66 M.W. तहसील ज्वालामुखी के निर्माण हेतू मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।
3. उपमण्डल अधिकारी (ना0) ज्वालामुखी ने ग्राम सभा दरीण, लुथान, सिल्ह, कोपडा, हिरण द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात Main Head Works, Tanks and Distribution System तहसील ज्वालामुखी के निर्माण हेतु मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

4. उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा ने ग्राम सभा घमरूर व बारी द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात लिंक रोड बढल से धिमान बस्ती वाया बुहाला तहसील देहरा के निर्माण हेतु मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

5. उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा ने ग्राम सभा सिऊल व गुरलधार द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात लिंक रोड झुरनी मोड से नंगल वाया सुनेहत तहसील देहरा के निर्माण हेतु मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

6. उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा ने ग्राम सभा बठरा, चपलाह, राडी–कोडी तथा टिप्परी द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात लिंक रोड रोडी कोडी से टिपरी तहसील देहरा के निर्माण हेतु मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

7. उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा ने ग्राम सभा धार तथा घंगड द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात लिंक रोड धार से घंगड वाया लून्सू तहसील देहरा के निर्माण हेतु मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

8. उपमण्डल अधिकारी (ना0) नगरोटा बगवां ने ग्राम सभा मसल, औचा, घोडव, भदरेहड, उपरली कोठी, मूमता, कोठी झिकली, गुगलाहड, फकेट लाहड, बडोता, जखनेहड, पलाखरू, खास सरोत्री, तथा भलूणा द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात नगरोटा बगवां–रानीताल–मुवारिकपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग–20A के निर्माण हेतू मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

9. उपमण्डल अधिकारी (ना0) नूरपुर ने ग्राम सभा लगोड गेही द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात Way Side Amenities and Hotel and Restaurant के निर्माण हेतू मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

बैठक में प्रस्तुत उपरोक्त समस्त मामलों को ध्यानपूर्वक देखा गया। उपमण्डल स्तरीय समिति से प्राप्त बैठक की कार्यवाही से पाया गया कि उपरोक्त मामलों में किसी समुदाय या व्यक्ति द्वारा कोई दावा पेश नही किया गया है तथा कमेटी के किसी भी सदस्य द्वारा कोई एतराज नहीं जताया गया। अतः समस्त मामले जिला स्तर की बैठक में पारित कर दिये गये हैं जिस बारे प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाऐगें।

इसके अतिरिक्त उपमण्डल अधिकारी ना0 वैजनाथ से निम्नलिखित मामले प्राप्त हुए हैं जिनको कुछ त्रुटियों के कारण पुनः अवलोकनार्थ वापिस किया गया तथा इस बारे सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (ना0) से चर्चा के उपरांत इन मामलों को पुनः अगली जिला स्तरीय बैठक में प्रस्तुत किया जाएगाः–

क आर्यन संसाल हाईड्रो प्रोजैक्ट (SHEP) 1 MW.
ख करोट नैन हाईड्रो प्रोजैक्ट (SHEP) 1 MW.

तत्पश्चात उपायुक्त महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करके बैठक को समाप्त कर दिया ।

स्थान––धर्मशाला

दिनांक 2018

संदीप कुमार, भा0प्र0से0
उपायुक्त कांगड़ा एंव अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति

पृष्ठांकन संख्या 5442-49 /डी0आर0ए0 दिनांक 09 अक्तूबर 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैः–
1 अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला।
2 वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला, नूरपुर,देहरा एवं पालमपुर।
3 वन मण्डल अधिकारी (वन संरक्षण) हमीरपुर।
4 श्री गगन सिंह गौरा गांव वंगार डा0 वोह तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा।
5 श्री मति गायत्री कपूर (जिला परिषद) धौलाधार क्लोनी सी–41 पोस्ट ऑफिस दाडी लोहर वडोल तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा।
6 श्री मति अनिता देवी गांव व डा0 चचियां तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा।

09/10/18
संदीप कुमार, भा0प्र0से0
उपायुक्त कांगड़ा एंव अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Disstrict Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights)Act (FRA), 2006.

A meeting of the Disstrict Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri Sandeep Kumar, I.A.S, Deputy commissioner, Kangra on 25-09-2018 at 3.00 PM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Dhar & Dhangad Gram Sabhas, claiming rights in 03-21-80 hectare forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Dehra, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right

______________ No claim filed by anyone______

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :- (Not applicable)

S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right

OR

As informed by SDO (Civil) Dehra, no application was received from Dhar & Dhangad Gram Sabhas claiming rights in 03-21-80 hectare forest area.

Place : Dharamshala

No : 5460 /DRA Dated : 09-10-2018

09/10/18

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Forest Rights Committee

***Name of the local people who have aplied for admission of rights in the said forest area.**

103

366

Annexure-III

OFFICE OF THE SDO CIVIL), Dehra
DISTRICT Kangra (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of 26.2.18 Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms. D.S Thakur, SDO(Civil) 26.2.18 on ____ at________AM/PM at________(Place) in which the application(s) of the applicant(s) of Dhar & Dhangar Gram Sabha, claiming rights in Nil forest area(s) under FRA,2006, duly processed and recommended by the Dhar & Dhangar Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee :-

S.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.		—Nil—	

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.		— Nil —	

OR

As informed by _____ Gram Sabha, no application was received claiming rights in _____ forest area.

Place: Dehra

Date

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson
Sub Divisional Officer (Civil)
Dehra, Distt. Kangra (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

by hand recived from SDM

Office of the Sub Divisional Officer (C) Dehra Distt. Kangra (HP)

Proceedings of the meeting of the Sub Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Forest Dwellers (Recognition Of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the Sub-Division level Committee of Dehra Sub Division constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr Dhanbir Thakur , SDO © Dehra on 26-2-2018 at 11:30AM at SDM office Dehra in which the application of the applicant's of Dhar, Dhangar, Tilla, Chakla and Chatra claiming rights in UPF forest area (s) under FRA 2016 duly processed and recommended by the _____✓_____ Gram Sabha were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee:-

S. No	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1	Nil	—	–
2			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :-

S. No	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1	Nil	—	–
2			

As informed by Dhar.Dhangar,Tilla,Chakla and Chatra____ Gram Sabha, no application was received claiming rights in UPF forest area.

[signature] 26.2.18.

Sub Divisional Officer (Civil) cum
Chairman, Sub Division Level Committee
Dehra Distt Kangra H.P.

Sub Divisional Officer (Civil)
Dehra, Distt. Kangra (H.P.)

(101)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

वन अधिकार समिति धार
ग्राम सभा धार
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1 .... दिनांक 19/03/2017

वन अधिकार समिति ग्राम सभा धार की बैठक आज दिनांक 19/03/2017 को 11:00-am बजे, स्थान धार में श्री/श्रीमति ईशा पाल की अध्यक्षता में की गई जिसमें धार गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत धार U2 Ladal जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें PWD विभाग द्वारा धार से धंगड़ वाया लम्बू के निर्माण के लिए 0-67-98 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क0स0	* पात्र ग्रांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	सूची साथ संलग्न है (धार)	U2 Ladal	कोई भी दावा पेश नहीं किया गया।

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारि.श करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गेया:–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

U2 Ladal जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान धार
दिनांक 19/3/2017

सचिव ग्राम पंचायत धार
अध्यक्ष/हस्ताक्षर/सचिव कर्ता
ग्राम सभा
ब्लॉक नगरोटा सूरियां
त. देहरा, (कांगड़ा) हि० प्र०

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** *प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है* C/o link रोड धार से धंगड़ वाया लम्बू।

प्रधान ग्राम पंचायत धार

ग्राम पंचायत धार, वि.ख. नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर
दिनांक

(102)

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा......धार.......

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.......17.......

दिनांक.....08-04-2017

....

ग्राम सभा.........धार.........की बैठक आज दिनांक 08-04-2017 को......................11-00 बजे, स्थान.......पंचायत घर धार.........में श्री/श्रीमति.......किशोरी लाल.......की अध्यक्षता में की गई जिसमें.......धार.......गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत.......U2 Ladol.......जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें.....PWD.....विभाग द्वारा.....धार से धंगड़ वाया लूपसू.....के निर्माण के लिए 0-67-98 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :—

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का...
1.	सूची साथ संलग्न	U2 Ladol	कोई भी दावा पेश न किया गया
2.			

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:—

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या 0-67-98

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार U2 Ladol जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान.......धार.......

दिनांक.....08-04-2017.....

सचिव ग्राम पंचायत धार
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ब्लाक नगरोटा सूरियां
ग्राम सभा
त. देहरा, (कांगड़ा) हि० प्र०

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जेंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** *प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।*

c/o लिंक रोड धार से धंगड़ वाया लूपसू

[stamp] प्रधान ग्राम पंचायत धार, वि० ख० नगरोटा सूरियां

हस्ताक्षर..............

दिनांक..............

(105)

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा....धार....
विकास खण्ड..नगरोटा-सूरियाँ....जिला....कांगड़ा....(हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक..08-04-2017

गणपूर्ति....149 / 279....

प्रस्ताव संख्या....17....

विषयः ....लोक निर्माण (PWD)....विभाग/संस्था को ....धार से धौंगड़ वाया लुण्सु....के निर्माण हेतू....U2 Ladol धौंगड़ वन समिति....जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित..0-67-98....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा ....धार....की बैठक आज दिनांक....08-04-2017....को....11-00....बजे, स्थान....पंचायत धार धार....में की गई, जिसमें....लोक निर्माण विभाग....विभाग/संस्था को ....धार से धौंगड़ वाया लुण्सु सड़क....के निर्माण हेतू..0-67-98 U2 Ladol....जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित....0-67-98....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित....0-67-98....हैक्टेयर वन भूमि को धार से धौंगड़ वाया लुण्सु सड़क निर्माण....निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा....धौंगड़....की सहमति दी जाती है।

स्थान....धौंगड़....
दिनांक..08-04-2017....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
(Signature)
पंजीकार जन्म मृत्यु विवाह
ग्राम पंचायत धार तह० देहरा
ब्लॉक नगरोटा सूरियां

हस्ताक्षर....(Signature)
दिनांक....

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग कांगड़ा - (हि० प्र०)

कार्यालय ग्राम पंचायत धार

विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, उप-तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा - (हि०प्र०)

अध्यक्षता : **प्रधान किशोरी लाल**

प्रस्ताव संख्या ÷ 05 **उपस्थिति** 143/279 **दिनांक** 30-08-2017

विषय ÷ सड़क निर्माण धार से थेंगड़ वाया लूनपू के निर्माण करने के लिए वन विभाग से अनुमति बारे ।

ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि पंचायत धार से पंचायत थेंगड़, गुलेर, हरिपुर को मिलने वाली सड़क का सर्वे लगभग 40 वर्ष पहले हो चुका था । सड़क अभी तक नहीं बनी है ना ही सड़क महाल धार में सड़क से संबन्धित कोई कार्य महाल धार में हुआ है क्योंकि ग्राम पंचायत धार के महाल धार में लगभग 17-18 कनाल 00-67-98 हैक्टेयर भूमि वन विभाग की है और उसी भूमि में सड़क बनाई जानी है आज तक इस क्षेत्र में कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है।

अतः ग्राम सभा धार सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करके माननीय वन मण्डलाधिकारी देहरा, उप मण्डल अधिकारी तथा जिलाधीश महोदय कांगड़ा स्थित धर्मशाला जी से निवेदन करती है कि महाल धार में प्रस्तावित 00-67-98 हैक्टेयर को अनापत्ति जारी करने की कृपा करें । इस संदर्भ में ग्राम सभा धार आपकी सदैव आभारी रहेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि
नकल मिसल मुताबिक असल है

[signature]

सचिव ग्राम पंचायत धार
ब्लॉक नगरोटा सूरियां
त. देहरा (कांगड़ा) हि० प्र०

(101)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

वन अधिकार समिति, धगड़ खास

ग्राम सभा........धगड़

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या...11.................... दिनांक 06/04/2017

....

वन अधिकार समिति ग्राम सभा.......धगड़.......................की बैठक आज दिनांक 03-04-2017 को.......11..............बजे, स्थान.......धगड़ खास........में श्री/श्रीमति.......त्रिलोक च-द ....की अध्यक्षता में की गई जिसमें.............धगड़ खास.........................गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत...धगड़ खास UR.D धगड़......जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें PWD......विभाग द्वारा...धार से धगड़ वाया लूण्सू......के निर्माण के लिए 1-11-94 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क0स0	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	सूची संलग्न (धगड़ खास)	U.R.D धगड़	कोई भी दावा पेश नहीं किया गया)
2.			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारि.श करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

U.R.D धगड़ जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान......धगड़...................

दिनांक 6/4/2017

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

सचिव ग्राम पंचायत धगड़

ग्राम सभा...विकास खण्ड नगरोटा सूरिया

तह0 देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

हस्ताक्षर....Meera devi

दिनांक....Trilok Chand

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

धगड़ खास

तह0 देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0

(102)

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा......धंगड़......
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या......11......

दिनांक......06-04-2017

ग्राम सभा......धंगड़......की बैठक आज दिनांक......06-04-2017......को......11-00 बजे, स्थान......धंगड़......में श्री/श्रीमति......मीना देवी......की अध्यक्षता में की गई जिसमें......धंगड़ खास......गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत......U12D धंगड़......जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें......PWD......विभाग द्वारा......धार से धंगड़ वाया लुणसू......के निर्माण के लिए......01-11-94......हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल को नाम	वन अधिकार का...
1.	सूची साथ संलग्न	U12D धंगड़	कोई भी दावा पेश नहीं किया गया।
2.			

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या 01-11-94 है

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार U12D धंगड़......जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

सचिव
ग्राम पंचायत धगड़
नगरोटा सूरिया
तह0 देहरा जिला कांगड़ा

स्थान......धंगड़......

दिनांक......06-04-2017......

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा......

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** *प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।*

हस्ताक्षर......Meena Devi
दिनांक......

धंगड़ खास

(102)

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा.......धंगड़.......
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक......06-04-2017

प्रस्ताव संख्या......11......

ग्राम सभा......धंगड़......की बैठक आज दिनांक 06-04-2017 को...... 11-00 बजे, स्थान......धंगड़ चतारा......में श्री/श्रीमति......मीना देवी......की अध्यक्षता में की गई जिसमें......चकला चतारा......गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत......U12D धंगड़......जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें......PWD......विभाग द्वारा......धार से धंगड़ वाया लुफसु......के निर्माण के लिए 0-15-48 0-55-00 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल को नाम	वन अधिकार का
1.	सूची साथ संलग्न	U12D धंगड़	कोई भी दावा पेश न किया गया।
2.			

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या 0-15-48 0-55-00

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार U12D धंगड़......जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान......धंगड़......
दिनांक......06-04-2017......

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा......

प्रधान ग्राम पंचायत धंगड़ विकास खण्ड नगरोटा सूरियां तह० देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** *प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।* C/O लिंक रोड धार से धंगड़ वाया लुफसु

हस्ताक्षर......Meena Devi
दिनांक......

Purshotam Singh
सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत धंगड़

(101)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

वन अधिकार समिति चकला, चत्तरा

ग्राम सभा धगाड़

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 11 .... दिनांक 02-04-2017

वन अधिकार समिति ग्राम सभा चकला, चत्तरा की बैठक आज दिनांक 02-04-2017 को 11:30 बजे, स्थान चत्तरा में श्री/श्रीमति प्रशोतम सिंह की अध्यक्षता में की गई जिसमें चकला व चत्तरा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत U12D धगाड़ जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें PWD विभाग द्वारा धार से धंगाड़ वाया लूण्सू के निर्माण के लिए 0-15-48 / 0-55-00 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :—

क0स0	* पात्र ग्रांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	चकला वन अधिकार समिति की सूची साथ संलग्न है	U12D धंगाड़	कोई भी दावा पेश नहीं किया गया।
2.			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारि,श करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:—

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

U12D धंगाड़ जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चत्तरा

दिनांक 02-04-2017

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा [signature]

सचिव ग्राम पंचायत धगाड़ विकास खण्ड नगरोटा सूरियां तह0 देहरा जिला कांगड़ा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

* प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है C/O लिंक रोड धार से धंगाड़ वाया लूण्सू

हस्ताक्षर Meena Devi

दिनांक

चत्तरा Purshotam Singh

[stamp]

(102)

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा....धॅंगड़ टिक्का

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक....06-04-2017

प्रस्ताव संख्या....11....

....

ग्राम सभा....धॅंगड़....की बैठक आज दिनांक 06-04-2017....को....11-00 बजे, स्थान....धॅंगड़....में श्री / श्रीमति....मीना देवी....की अध्यक्षता में की गई जिसमें....टिक्का....गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत....U12D धॅंगड़....जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें....PWD....विभाग द्वारा....धार से धॅंगड़ वाया लूण्सू....के निर्माण के लिए 0-71-40 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल को नाम	वन अधिकार का [illegible]
1.	सूची साथ संलग्न	U12D धॅंगड़	कोई भी दावा पेश नहीं किया गया।
2.			

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या 0-71-40 है.

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार....टिक्का....जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान....धॅंगड़....

दिनांक....06-04-2017....

अधीकृत हस्ताक्षर सचिव

ग्राम सभा.... सचिव ग्राम पंचायत धॅंगड़ विकास खण्ड नगरोटा सूरिया तह0 देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** *प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।* C/o लिंक रोड धार से धॅंगड़ वाया लूण्सू

हस्ताक्षर Meena Devi

दिनांक....

(101)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

वन अधिकार समिति टिल्ला
ग्राम सभा....टिल्ला (धंगड़)
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....11..... दिनांक 04-04-2017

वन अधिकार समिति ग्राम सभा.....टिल्ला (धंगड़).....की बैठक आज दिनांक 04-04-2017 को.....11-30.....बजे, स्थान.....टिल्ला.....में श्री/श्रीमति.....बिपन कुमार.....की अध्यक्षता में की गई, जिसमें.....टिल्ला.....गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत.....U12D धंगड़.....जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें.....PWD.....विभाग द्वारा.....धार से धंगड़ वाया लूणसू के निर्माण के लिए 0-71-40 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है), वन अधिकारों के लिए दावे हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0	* पात्र ग्रांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	सूची साथ संलग्न है	U12D धंगड़	कोई भी दावा पेश नहीं किया गया।

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारि,श करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

U12D धंगड़.....जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....टिल्ला.....
दिनांक.....04-04-2017.....

अधीकृत हस्ताक्षर
ग्राम सभा.....
सचिव
ग्राम पंचायत धंगड़
विकास खण्ड नगरोटा सूरिया
तह0 देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** *प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है* लिंक रोड धार से धंगड़ वाया लूणसू

हस्ताक्षर Meena Devi
दिनांक

Bipan Kumar
वन अधिकार समिति

(105)

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा धँगड

विकास खण्ड नगरोटा सूरियां जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 06-04-2017

गणपूर्ति 180 / 310 प्रस्ताव संख्या 11

विषयः लोक निर्माण (PWD) विभाग/संस्था को धार से धँगड़ वाया लूणसू के निर्माण हेतू U12D धँगड़ वन समितियों धँगड़ खास, टिल्ला, पंजाल व चतरा जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 02-53-82 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा धँगड की बैठक आज दिनांक 06-04-2017 को 11-00 बजे, स्थान पँचायत घर धँगड में की गई, जिसमें लोक निर्माण (PWD) विभाग/संस्था को धार से धँगड वाया लूणसू सड़क के निर्माण हेतू 02-53-82 है० U12D धँगड जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 02-53-82 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 02-53-82 हैक्टेयर वन भूमि को धार से धँगड़ वाया लूणसू सड़क निर्माण निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा धँगड की सहमति दी जाती है।

स्थान धँगड

दिनांक 06-04-2017

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता [signature]

ग्राम सभा सचिव ग्राम पंचायत धंगड विकास खण्ड नगरोटा सूरियां तह० देहरा जिला कांगडा (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत धंगड विकास खण्ड नगरोटा सूरियां जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर [signature]

दिनांक

कार्यालय ग्राम पंचायत धंगड़

विकास खण्ड नगरोटा सूरियां

तहसील देहरा जिला कांगडा हि0 प्र0 176033

अध्यक्षता प्रधान श्री मती मीना देवी

प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 06/04/2017 उपस्थिति 180/310

विषय: निर्माण सड़क धार से धन्गड़ वाया लूणसु के कार्य को करवाने के लिए वन विभाग से अनुमति लेने बारे :-

ग्राम सभा की बैठक में धार अध्यक्षता महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया ग्राम पन्चायत धार से पन्चायत धन्गड़ को मिलाने वाली सड़क का सर्वे लगभग 40 वर्ष पहले हुआ था और 2007 में यह सड़क मेड़ी (ग्राम पन्चायत धार) से 6 K.M महाल धार तक पक्की हो चुकी है। और उसके आगे महाल धार महाल चतरा, महाल धन्गड़ खास, तथा, महाल टिल्ला कि सड़क का कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि इस सड़क के लिए लगभग 66 कनाल, 2-53-82 हैक्टैयर भूमि वन विभाग कि है। तथा इस भूमि में सड़क ~~बनाई~~ - जानी है। जिस पर ग्राम सभा धन्गड़ को कोई आपत्ति नहीं है। उस क्षेत्र में आज तक कोई भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है।

अतः ग्राम सभा धन्गड़ सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास करके माननीय वन मण्डल अधिकारी देहरा जी से निवेदन करती है कि महाल, धार, महाल चतरा, महाल, टिल्ला व महाल धन्गड़ खास कि प्रस्तावित वन, भूमि, 2-53-82 हैक्टैयर कि इजाजत जारी करने की कृपा करें इस सन्दर्भ में ग्राम सभा धन्गड़ आपकी सदैव आभारी रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रति लिपि प्रस्ताव असल है।

प्रतिलिपि :- माननीय अधिशाषी अधिकारी (ना0) देहरा जी को सेवा में सूचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सचिव, ग्राम पंचायत धंगड़, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, तह0 देहरा जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ताक्षर Meena Devi

दिनांक ....